10रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES

# न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. जिला ग्वालियर

प्रकरण कमांक / 2014 निगरानी R 857- PBR/14

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. रघुवीर सिंह आयु 68वर्ष,
2. श्यामसुंदर सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह आयु 43 वर्ष,
3. रामसुंदर सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह आयु 38 वर्ष,
4. अतिसुंदर सिंह पुत्र स्व. रघुवीर सिंह आयु 32 वर्ष,
   समस्त निवासीगण–01 लैदर फैक्ट्री कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर .................................. **निगरानीकर्तागण**

**बनाम**

मध्य प्रदेश शासन .................................. **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 13.02.2014 जो कलेक्टर ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 140/2009–10/अ–6 बउनमान सावित्रीदेवी बनाम म.प्र. शासन में तहसीलदार ग्वालियर द्वारा भेजे गये नामांतरण प्रकरण में अभिमत पर माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अपील की प्रतिक्षा करें ऐसा आदेश दिये जाने से दुःखित होकर ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 857–पीबीआर / 2014 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
| --- | --- | --- |
| 12–6–2014 | उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के प्रतिवेदन पर कलेक्टर द्वारा दिनांक 13.2.2014 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलित अपील की प्रतीक्षा करनें के निर्देश दिये गये हैं । स्पष्टतः कलेक्टर द्वारा विधिक आदेश पारित न कर प्रशासनिक स्वरूप का आदेश पारित किया गया है। प्रशासनिक आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है ।<br><br>(स्वदीप सिंह)<br>अध्यक्ष | |